

आदेश व इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 337/2020 (धारा 14 सिक्वोरिटाईजेशन)

एच.डी.बी. फाईनेन्शियल सर्विसेज लिमिटेड, पता :- एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड, फर्स्ट फ्लोर, 3, पार्क
स्ट्रीट, अपोजिट, पिकसिटी पेट्रोल पम्प, एम.आई.रोड, जयपुर जरिये अधिकृत प्रतिनिधि श्री जितेन्द्र सिंह
राजावत।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. मैसर्स ओमप्रकाश बजरंग लाल सैनी, जरिये प्रोपराईटर ओमप्रकाश सैनी,
पता :- नियर हनुमान जी का रास्ता, रिंगस रोड, चौमू, जयपुर।
2. श्रीमती मिनाक्षी देवी पुत्री श्री धोलूराम सैनी,
3. श्रीमती सूजी देवी पत्नी श्री शंकर लाल
4. श्री शंकर लाल पुत्र श्री ग्यारसीलाल
5. श्री ओमप्रकाश सैनी पुत्र श्री शंकरलाल सैनी
पता :- वार्ड नम्बर 9, बारा कॉलोनी की ढाणी, नियर फायर ऑफिस, रिंगस रोड, चौमू, जिला
जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of the securitisation and
reconstruction of financial assets and enforcement of security
interest Act.2002.

उपस्थित:-

1. श्री अविनाश कुम्भज अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 04.02.2021


1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक
30.11.2016 एवं 31.01.2018 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री शंकर लाल
पुत्र श्री ग्यारसीलाल सैनी के स्वामित्व की आवासीय सम्पत्ति वार्ड नम्बर 9 बारा कालोनी की ढाणी,
नियर फायर आफिस, रिंगस रोड चौमू जिला जयपुर स्थित क्षेत्रफल 234.71 वर्ग गज को बन्धक रख
कर क्रमशः 68,00,000/-रूपये एवं 15,20,844/-रूपये कुल 83,20,844/-रूपये की ऋण सुविधा
उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल
रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 24.06.2020 को रजिस्टर्ड
नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं

कुम्भज
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया । न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
3. प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया । पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 5 अगस्त 2016 से क्रम संख्या 7 पर सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगण को कुल 83,20,844/-रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 88,60,408/-रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 24.06.2020 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। इसके अतिरिक्त नोटिस दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।
6. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष अप्रार्थी श्री शंकर लाल पुत्र श्री ग्यारसीलाल सैनी के स्वामित्व की आवासीय सम्पत्ति बार्ड नम्बर 9 बारा कालोनी की ढाणी, नियर फायर आफिस, रींगस रोड चौमू जिला जयपुर स्थित क्षेत्रफल 234.71 वर्ग गज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
7. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्व कायदा जारी हो । पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
8. आदेश आज दिनांक 04.02.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।




 (अन्तर सिंह नेहरा)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर